

डी पी एच सी एल DPHCL

9^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट
9th ANNUAL REPORT
2015-16

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल DPHCL

9th वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT **2015-16**

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi - 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	कंपनी सूचना Company Information	1
2.	नोटिस Notice	2
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य Background And Function of DPHCL	8
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Director's Report	12
5.	स्रोत पर कटौती का विवरण TDS Detail	21
6.	तुलन-पत्र Balance Sheet	22
7.	लाभ और हानि का विवरण Statement of Profit and Loss	23
8.	नकद प्रवाह का विवरण Cash Flow Statement	25
9.	कर योग्य आय की गणना Computation Of Taxable Income	27
10.	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां Notes on Financial Statements	28
11.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	39
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी Comments Of The Comptroller And Auditor General Of India	50

कंपनी सूचना

COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2015–2016)

Board of Directors (2015-2016)

श्री आलोक कुमार वर्मा
Shri Alok Kumar Verma
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 29.02.2016)

श्री भीम सेन बस्सी
Sh. Bhim Sain Bassi
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 31.07.2013 से/to 29.02.2016)

श्री सुधीर यादव
Shri Sudhir Yadav
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 15.10.2015)

श्री किशन कुमार
Sh. Kishan Kumar
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 28.03.2014 से/to 15.10.2015)

श्री गिरधारी लाल मीणा
Sh. Girdhari Lal Meena
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 29.10.2013 से/to 26.06.2015)

श्री संजय प्रह्लाद पाठक
Shri Sanjay Pralhad Pathak
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 28.03.2014)

श्री राकेश मित्तल
Sh. Rakesh Mittal
अपर निदेशक Additional Director
(दिनांक/w.e.f. 23.03.2015)

श्री यशपाल गर्ग
Shri Yash Pal Garg
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 18.09.2015)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स दुआ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
3404, मदन मार्केट, हकीम बाका स्ट्रीट,
हौजकाजी, दिल्ली – 110006

Statutory Auditors

M/s. Dua and Associates
Chartered Accountants
3404, Madan Market, Hakim Baqa Street,
Hauz Qazi, Delhi – 110006

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

Bankers

State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

Registered Office :

Delhi Police Housing Corporation Limited
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534

दूरभाष : 23490357

ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 9वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016 को अपराह्न 04:30 बजे पुलिस मुख्यालय का कान्फ्रेंस हॉल, 3री मंजिल, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य

- 31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के लाभ और हानि का लेखा तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को एवं उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों, तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना, अपनाना।
- कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पारिश्रमिक निर्धारित करना और और निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स दुआ एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार का पारिश्रमिक निर्धारित को करने लिए अधिकृत किया जाता है।”

विशेष कार्य:

- विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के अनुच्छेद 68 के प्रावधानों के अनुसार श्री आलोक कुमार वर्मा (डिन-07478946), जो भावी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक अपर निदेशक का पद संभालेंगे और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाला स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।”

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

CIN No.: U4500DL2007GOI170534

Tele No. 23490357

e-mail : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE NINTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MAMBERS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED WILL BE HELD ON FRIDAY, THE 18TH DAY OF NOVEMBER 2016 AT 4:30 PM. IN THE CONFERENCE HALL POLICE HEADQUARTERS, IIIRD FLOOR, PHQ, NEW DELHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESSES:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Corporation for the Finacial Year ended 31st March 2016 including Balance Sheet as at 31st March 2016 and the Statement of Profit and Loss account for the period ended on that date and schedules annexed thereto, together with Reports of the Board of Directors and Statutory Auditors for that year and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the year 2016-17 to be appointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the followinfg resolution an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions Section139(5) and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and rules framed there under, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2016-17."

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in accordance with applicable provisions of the Commanies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articcles of Association of the Company, Sh. Alok Kumar Verma (DIN-07478946) ,who was appointed as an Additional Director and who hold office up to the date of this Annual General Metting be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

4. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री के. महेश (डिन-07659504), दिल्ली जिन्हें भावी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय का पद संभालने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।”

5. विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, संशोधन (संशोधनों) सहित अथवा उसके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियम और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री अजय कुमार सिंह (डिन-), दिल्ली सरकार जिन्हें भावी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय का पद संभालने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है और उन्हें एतद्द्वारा रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले स्थायी निदेशक नियुक्त किया जाता है।”

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.11.2016

ह.
(आलोक कुमार वर्मा)
निदेशक
डिन-07478946
पता: एबी-07, पंडारा रोड,
नई दिल्ली - 110003

टिप्पणी:

- 1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण, जो बैठक में विशेष कार्य संबंधी ब्यौरे को बताता है, यहां इसके साथ संलग्न है।
- 2 बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने एवं अपने स्थान पर परोक्षी/परोक्षियों नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे परोक्षी/परोक्षिया को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसे सदस्य अथवा अधिकतम पचास(50) सदस्यों की ओर से कार्य करेगा, जिनके पास मतदान के अधिकार के लिये कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- 3 परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए, विधिवत भरा हुआ परोक्षी फार्म, कंपनी की बैठक आरंभ होने से पहले 48 घंटों पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। परोक्षी फार्म इसके साथ भेजा जा रहा है। कंपनियों, सोसायटियों, इत्यादि की ओर से प्रस्तुत परोक्षी फार्म उपयुक्त संकल्प/प्राधिकारी द्वारा समर्थित, यथा लागू होना चाहिए।

4. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Companies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articles of Association of the Company, Sh. K. Mahesh (DIN-07659504) ,who was appointed as an Additional Director and who hold office up to the date of this Annual General Meeting be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation. "

5. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s). the following resolution, as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** in accordance with applicable provisions of the Companies Act 2013, Rules made there-under and the Articles 68 of Articles of Association of the Company, Sh. Ajai Kumar (DIN-----) ,who was appointed as an Additional Director and who hold office up to the date of this Annual General Meeting be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation. "

By the order of the Board
Delhi Police Housing Corporation Limited



Alok Kumar Verma
DIRECTOR
DIN: 07478946
Address: AB-07, PANDARA
ROAD, NEW DELHI 110003

Place : New Delhi
Date : 18.11.2016

NOTES:

1. The Explanatory statement Pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013 , which sets out details relating to Special Business at the meeting, is annexed hereto.
2. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY/ PROXIES TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. SUCH A PROXY /PROXIES NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.** A person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty(50) and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company.
3. The instrument of Proxy in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the meeting. A Proxy Form is sent herewith Proxies submitted on behalf of the companies, societies etc, must be supported by an appropriate resolution / authority, as applicable.

व्याख्यात्मक विवरण
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में)

मद सं.: 3

श्री आलोक कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने दि. 24.02.2016 के कार्यालय आदेश सं. 10451-10550/सीबी-प्रथम/पीएचक्यू और दि. 01.03.2016 के कार्यालय परिपत्र संख्या III/5604/06/32860-960/A-VIII/पीएचक्यू के अनुसार 29.02.2016 को पुलिस आयुक्त का प्रभार लिया।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय के दिनांक 07.07.2006 के अनुसार पुलिस आयुक्त, दिल्ली निगम के पदेन अध्यक्ष होंगे। निदेशक मंडल की 29 मार्च, 2016 को आयोजित बैठक हुई।

बोर्ड सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों द्वारा संकल्प के अनुमोदन को संस्तुत करता है।

श्री आलोक कुमार वर्मा को छोड़कर कोई भी निदेशक इस संकल्प में रूचि नहीं ले रहे हैं।

मद सं.:4

श्री के. महेश, विशेष सचिव, गृह को दिनांक 27.10.2016 के पत्र संख्या एफ.13/2004/एचपी-आई/स्था./4335 के द्वारा दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (दिपुआनिलि) का निदेशक का पद आदेशित किया गया है। निदेशक मंडल ने 18 नवंबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में श्री के. महेश को अपर निदेशक नियुक्त किया।

बोर्ड सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों द्वारा संकल्प के अनुमोदन को संस्तुत करता है।

श्री के. महेश को छोड़कर कोई भी निदेशक इस संकल्प में रूचि नहीं ले रहे हैं।

मद सं.:5

श्री अजय कुमार, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त को दिनांक 11.11.2016 के पत्र सं.एफ.5/01/2013/एचपी – आई/स्था./एफ4648-4658 के द्वारा दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (दिपुआनिलि) का निदेशक का पद आदेशित किया गया है। निदेशक मंडल ने 18 नवंबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में श्री अजय कुमार को अपर निदेशक नियुक्त किया।

बोर्ड सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों द्वारा संकल्प के अनुमोदन को संस्तुत करता है।

श्री अजय कुमार को छोड़कर कोई भी निदेशक इस संकल्प में रूचि नहीं ले रहे हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.

(आलोक कुमार वर्मा)
निदेशक

डिन-07478946

पता: एबी-07, पंडारा रोड,
नई दिल्ली – 110003

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :18.11.2016

EXPLANATORY STATEMENT

(PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT 2013)

ITEM NO. 3

Sh. Alok Kumar Verma Commissioner of Police, Delhi assumed the charge of the Commissioner of Police on 29.02.2016 (AN) vide order No. 10451-10550/CB-I/PHQ dated Delhi the 24.02.2016 and office Circular No. III/5604/06/32860-960 / A-VIII/ PHQ dated Delhi the 01.03.2016.

Further vide MHA's letter no.14014/02/05-UTP dated 07.07.2006 Commissioner of Police delhi will be the Ex-officio Chairman of the Corporation. the board of Directors in their meeting held on 29th March, 2016.

The Board recommends the approval of resolution by the shareholders by way of ordinary Resolution.

None of the Directors except Mr. Alok Kumar Verma is interested in the proposed resolution.

ITEM NO. 4

Sh. K. Mahesh Special Secretary Home has been ordered Director of Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHC) vide order No. F.13/2004/HP-I/Estt/4335 dated 27.10.2016. The board of Directors in their meeting held on 18th November, 2016 appointed Shri K. Mahesh as an Additional Directors of the Company.

The Board recommends the approval of resolution by the shareholders by way of ordinary Resolution.

None of the Directors except Shri K. Mahesh is interested in the proposed resolution.


ITEM NO.5

Sh. Ajai Kumar Singh, IPS, Special Commissioner of Police has been ordered Director of Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHC) vide latter No. F./5/01/2013/HP-I/Estt/F4648-4658 dated 11.11.2016 The board of Directors in their meeting held on 18th November, 2016 appointed Shri Ajai Kumar Singh as an Additional Directors of the Company.

The Board recommends the approval of resolution by the shareholders by way of ordinary Resolution.

None of the Directors except Shri Ajai Kumar Singh is interested in the proposed resolution.

**By the order of the Board
Delhi Police Housing Corporation Limited**



**Alok Kumar Verma
DIRECTOR
DIN: 07478946
Address: AB-07, PANDARA
ROAD, NEW DELHI 110003**

Place : New Delhi
Date : 18.11.2016

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परियोजना के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि की अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर – दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer- One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer- One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum- Company Secretary- One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November' 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :-

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012- यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक - दो
2. स्वतंत्र निदेशक - दो
3. कार्यकारी निदेशक - दो

सरकारी निदेशक :- डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली - पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर-सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुसूची 'ग' सीपीएसई कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS : DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :- The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई-मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017-2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10^{वीं} वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि. पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएफईएस सीबी-II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रूप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

विलंब कथन

(वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएफईएस सीबी-II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त/प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2018-19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन/प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBI, dated 6th September, 2019.

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBI, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on dated 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

आपके निदेशकगणों कंपनी के व्यापार और प्रचालन पर 9वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है

1. व्यापार और प्रचालन:

निगम की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, संरचना निर्माण या मरम्मत करना है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड ने दिल्ली पुलिस की चल रही छह परियोजनाओं को शुरू किया, इसमें से चार परियोजनाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं लेकिन उनका समापन प्रमाण-पत्र प्रत्याशित है। दिपुआनिलि से एक बापूधाम की परियोजना को वापिस लिया गया है तथा शेष एक 98% पूर्ण हो चुकी है।

2. वित्तीय सार अथवा विशेषताएं:

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सार इस प्रकार है:

DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting their Ninth Annual Report on the business and operations of the Company and Audited financial statements for the financial year ended on 31st March, 2016.

1. Business and Operations:

The main activity of the Corporation is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Delhi Police Housing Corporation Limited has taken over six ongoing projects of Delhi Police, out of which, four of the projects have already been completed but their completion certificate is awaited for final settlement, one project of Bapudham has been withdrawn from DPHCL and remaining one project is 98% complete.

2. Financial Summary or Highlights:

The financial performance, for the year ended 31st March, 2016 is summarized as:

(राशि रुपयों में/Amount in Rupees)

विवरण	Particulars	वित्तीय वर्ष / FY 2015-16	वित्तीय वर्ष / FY20 14-15
प्रचालन से राजस्व (आय) (निवल)	Revenue from operations (net)	-	-
अन्य आय	Other income	301,173,244	147,574,126
कुल राजस्व	TOTAL REVENUE	301,173,244	147,574,126
व्यय	EXPENDITURE	283,759,569	131,398,407
असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) before Extra Ordinary items	17,413,675	16,175,719
जोड़ें : अपवादात्मक वस्तुएं	Add: Exceptional Items	-	-
घटाएं: असाधारण मदें	Less: Extra-ordinary Items	-	-
घटाएं: कर-निर्धारण के लिए प्रावधान	Less: Provision for taxation	5,887,234	5,250,318
वर्तमान कर	Current Tax		
आस्थगित कर	Deferred Tax		
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) after Tax for the year	11,526,441	10,925,401

3. लाभांश:

योजनाबद्ध व्यापार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आपके निदेशकगणों ने कंपनी की गतिविधि के लिए उसके संसाधनों को उपयुक्त बनाए रखने का विचार किया है अतएव 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कोई लाभांश संस्तुत नहीं किया है।

4. आरक्षित:

कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹11,526,441/- की राशि को आरक्षित में अंतरित किया है।

5. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।

6. निदेशक मंडल:

निगम का निदेशक मंडल गठित है, जिसमें अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है:

1. अध्यक्ष
श्री अलोक कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली
2. प्रबंध निदेशक
श्री सुधीर यादव, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस
3. श्री संजय प्रहलाद पाठक, आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली
4. श्री राकेश मित्तल, निदेशक (दिल्ली), गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, नई दिल्ली

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्तियां और त्याग-पत्र

1. श्री जी. एल. मीना, विशेष सचिव, सतर्कता का प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार, एनएसआईटी में स्थानांतरण होने के कारण दिनांक 23.06.2015 से निगम के निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई हैं। बोर्ड श्री जी. एल. मीना को निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।
2. श्री किशन कुमार, विशेष पुलिस आयुक्त की दिनांक 29 दिसंबर, 2015 से निगम के प्रबंध निदेशक के पद से सेवाएं समाप्त हो गई हैं। बोर्ड श्री किशन कुमार को निगम में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

3. Dividend:

In view of the planned business growth, your Directors deem it proper to preserve the resources of the Company for its activities and therefore, do not propose any dividend for the Financial Year ended March 31, 2016.

4. Reserves:

During the Financial year ended 31st March, 2016, the Company has transferred an amount of Rs.11,526,441/- to reserves.

5. Change in the Nature of Business:

There is no change in the nature of business during the Financial Year 2015-2016.

6. Board of Directors:

The Board of the Corporation is duly constituted, consisting of Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi and Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

The Composition of the Board at the end of the Financial Year 2015-16:

1. Chairman
Shri Alok Kumar Verma, Commissioner of Police, Delhi
2. Managing Director
Shri Sudhir Yadav, Special Commissioner of Police, Delhi Police
3. Shri Sanjay Pralhad Pathak, Commissioner (Planning), Delhi Development Authority, Vikas Minar, New Delhi
4. Shri Rakesh Mittal, Director (Delhi) representative of Ministry of Home Affairs, New Delhi

Retirements and Resignations during the year

1. Shri G.L. Meena, Special Secretary, Vigilance ceased to be the Director of the Corporation w.e.f. 23.06.2015, due to his transfer as Registrar, NSIT on deputation. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri G.L. Meena during his tenure with the Corporation.
2. Shri Kishan Kumar, Special Commissioner of Police, ceased from the post of Managing Director of Corporation with effect from Dated 29th December, 2015. The Board places on record its sincere appreciation for the services rendered by Shri Kishan Kumar during his tenure with the Corporation.

3. श्री भीम सेन बस्सी, पुलिस आयुक्त, दिल्ली का दिनांक 29.02.2016 से दिल्ली पुलिस से उनकी अधिवर्षिता के कारण निगम के निदेशक और अध्यक्ष के पद से सेवाएं समाप्त हो गई हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्तियाँ:

- वर्ष के दौरान श्री यशपाल गर्ग, प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 18 सितंबर, 2015 को निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वर्ष के दौरान 30 अक्टूबर, 2015 को परिचालन के द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से श्री सुधीर यादव, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्त/ प्रावधान और रसद, दिल्ली को निगम के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।
- वर्ष के दौरान 29 मार्च, 2016 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में श्री आलोक कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को निगम का अपर निदेशक नियुक्त किया गया है।

7. बोर्ड मीटिंग की संख्या:

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 5 (पाँच) बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की दो बैठकों के बीच का अंतर कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पाँच बैठकें निम्नांकित तारीखों को हुईं:

- 1) 23 जून, 2015
- 2) 10 अगस्त, 2015
- 3) 18 सितंबर, 2015
- 4) 29 दिसंबर, 2015
- 5) 29 मार्च, 2016

3. Shri Bhim Sain Bassi, Commissioner of Police, Delhi ceases to be the Director and Chairman of the Corporation due to his superannuation from Delhi Police with effect from 29.02.2016.

Appointments during the Year

- During the period Shri Yashpal Garg, representative of GNCTD, New Delhi was appointed as Director of the Corporation in the Board Meeting held on 18th September, 2015.
- During the period Shri Sudhir Yadav, IPS, Special Commissioner of Police/P&L Delhi was appointed as Managing Director of the Corporation by resolution passed by circulation on 30th October, 2015.
- Shri Alok Kumar Verma, who has been appointed as Commissioner of Police, Delhi and is hereby appointed as Additional Director of the Corporation in the board meeting held on 29th March, 2016.

7. Number of Board Meetings:

The Board met 5 (five) times during the financial year. The intervening gap between two Board Meetings was within the period prescribed by the Companies Act, 2013.

During the year under review, the Board met five times on the following dates:

- 1) 23rd June, 2015
- 2) 10th August, 2015
- 3) 18th September, 2015
- 4) 29th December, 2015
- 5) 29th March, 2016

नाम और पदनाम Name & Designation	बोर्ड मीटिंग की तारीख Date of Board Meeting	2015-16 के दौरान बैठकों में उपस्थिति Attendance at Meeting during 2015-2016		कंपनी में निदेशकों की संख्या No. of directorships in Companies
		बोर्ड की बैठक Board Meeting	वार्षिक आम बैठक AGM	
श्री भीम सेन बस्सी Shri Bhim Sain Bassi	23.06.2015, 10.08.2015, 18.09.2015, 29.12.2015	4		शून्य / NIL
श्री किशन कुमार Shri Kishan Kumar	23.06.2015, 10.08.2015, 18.09.2015	3		शून्य / NIL
श्री एस. पी. पाठक Shri S.P. Pathak	23.06.2015, 10.08.2015, 18.09.2015, 29.03.2016	4		शून्य / NIL
श्री राकेश मित्तल Shri Rakesh Mittal	शून्य / NIL	शून्य / NIL		शून्य / NIL
श्री आलोक कुमार वर्मा Shri Alok Kumar Verma	29.03.2016	1		शून्य / NIL
श्री यश पाल गर्ग Shri Yash Pal Garg	18.09.2015, 29.12.2015, 29.03.2016	3		शून्य / NIL
श्री सुधीर यादव Shri Sudhir Yadav	29.12.2015, 29.03.2016	2		शून्य / NIL

8. मूलभूत परिवर्तन और वचनबद्धता:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई मूलभूत परिवर्तन तथा वचनबद्धता नहीं थी जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं विकास प्रभावित होते।

9. महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण:

किसी विनियामक/कोर्ट अथवा अधिकरण द्वारा कंपनी की चलायमान स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोई भी सार्थक और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए।

10. सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण:

कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं है तथा ना ही वित्तीय वर्ष के दौरान कोई कंपनी इसकी धारक/सहायक अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी बनी। अतएव वार्षिक विवरणी का सार (एमजीटी)-9 में प्रकटन अपेक्षित नहीं है।

11. निवेश:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अर्थ के दायरे में कोई निवेश स्वीकार्य अथवा नवीकृत नहीं किया है तथा तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी की ओर से कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था। वर्ष के दौरान, निगम ने जनता से कोई निवेश नहीं स्वीकारा है।

12. सांविधिक लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मैसर्स दुआ एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षक ने सदस्यगणों को अपनी रिपोर्ट में योग्य राय दी और उस संबंध में आपके निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

1. कंपनी ने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के निगमीकरण से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही कुछ परियोजनाओं का कार्य लिया, हालांकि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के निगमीकरण पूर्व इन परियोजनाओं के अधिकारों और दायित्वों को कंपनी के लेखा बही में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। सूचना के अभाव में, हमारे द्वारा मात्रा निर्धारण और टिप्पणी नहीं की जा सकती।

स्पष्टीकरण : दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड, दिल्ली पुलिस के प्राधिकारियों के निदेशानुसार राइट्स लिमिटेड और एचपीएल को निधियाँ निर्मुक्त करना शुरू किया है। दिल्ली पुलिस के दस्तावेजों और स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि सभी आस्तियाँ/निर्माण

8. Material Changes and Commitments:

There were no material changes and commitments that have occurred between the end of Financial Year 2016-17 and the date of this report affecting the financial position and growth of the Company.

9. Details of Significant and Material Orders:

There were no significant and material orders passed by any regulators/courts or tribunals impacting the on-going concern status and company's operations in future.

10. Details of Subsidiary/Joint Ventures/ Associate Companies:

The Company does not have any Subsidiary/ Joint Venture/Associate Company and no Company became its Holding, Subsidiary or Joint Venture Company during the financial year. Hence, the disclosure in Annexure "A" in MGT-9 is not required.

11. Deposits:

The Company has neither accepted nor renewed any deposits within the meaning of Section 73 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 during the financial year 2015-16 and no amount of principal or interest was outstanding on the part of the company as on the Balance Sheet date. The Corporation has not accepted any deposits from public during the year.

12. Statutory Auditors and Audit Report:

M/s Dua & Associates, Chartered Accountants, were appointed as the Statutory Auditors of the Corporation by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) for the financial year 2015-2016.

The Auditors' in their Report to the members have given qualified opinions and the explanation of your Directors with respect to the same is as follows:

1. The company has taken over certain projects carried on by Delhi Police before incorporation of DPHCL, however the rights & obligations of these projects before its incorporation has not been recorded in the books of accounts of the Company. In absence of the information, the same cannot be quantified & commented upon by us.

Explanation: The Delhi Police Housing Corporation Limited has taken over certain projects of Delhi Police and started releasing Funds to RITES Ltd and HPL as per the directions

दिल्ली पुलिस के स्वामित्व में होंगे ना कि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के स्वामित्व में होंगे (दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड और निष्पादन एजेंसियों अर्थात् (राइट्स लिमिटेड और एचपीएल) के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय – करार के अनुसार दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड का भूमि और भवन पर कोई स्वामित्व का अधिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के पास भूमि और भवन के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा, कंपनी के पास अपने निगमीकरण से पहले शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में कोई अधिकार या दायित्व नहीं है।

2. ठेकेदारों को किए गए भुगतान को इसके उपयोग के बावजूद भुगतान के वर्ष में निर्माण व्यय में बुक किया जाता है। ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान दर्ज नहीं किया जाता है और सामंजस्य किया जाता है।

स्पष्टीकरण : कंपनी की निष्पादन एजेंसी को किए गए भुगतान के आधार पर निर्माण व्यय बुक करने के लिए उसकी लेखांकन नीति है। संपूर्ण भुगतान को परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग करने के रूप में माना जा रहा है। डीपीएचसीएल को शामिल करने से पहले, दिल्ली पुलिस ने निष्पादन एजेंसियों को सीधे भुगतान किया था, यह जानना अब संभव नहीं है कि डीपीएचसीएल या दिल्ली पुलिस फंड में से कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया था।

इसलिए उक्त नीति को डीपीएचसीएल द्वारा अपनाया गया था। इसके अलावा, निष्पादन एजेंसियों को भुगतान उनके द्वारा की गई मांग और दिल्ली पुलिस द्वारा विधिवत अनुमोदित किए जाने पर किया जा रहा है

3. कंपनी अपने सलाहकारों/ ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान करती है और विभिन्न परियोजना एस्करो बैंक खातों में उनके पास पड़ी हुई निधियों पर ब्याज अर्जित करती है।

हालांकि, सलाहकार/ ठेकेदारों ने ब्याज आय पर स्रोत पर कर की कटौती ऋण नहीं दिया है। कंपनी शुरू से ही इसका ध्यान नहीं रख पाई है और इस खाते पर भारी नुकसान हुआ है। पिछले वर्षों में कंपनी को हुए नुकसान की राशि का प्रबंधन द्वारा पता नहीं लगाया जा सका और उसके अभाव में उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

वर्तमान वर्ष के दौरान, ठेकेदार के प्रमाण-पत्र {एचपीएल} के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती की राशि रु.5,94,520/- (हमारे अनुमान के अनुसार यह आंकड़ा एचपीएल द्वारा जमा किए गए ब्याज (टीडीएस का निवल) पर आधारित रु. 9,68,497/- रुपये है)। हालांकि, कंपनी ने अपने राजस्व में स्रोत पर कर की कटौती की किसी भी राशि की जिम्मेदार नहीं ली है, जिसके परिणामस्वरूप आय में रु.9,68,497/- तक कमी आई है।

of Delhi Police Authorities. It is very clear from documents and clarifications from Delhi Police that all Assets/Constructions shall be owned by the Delhi Police and not Delhi Police Housing Corporation Ltd. Also as per Tripartite agreement signed between Delhi Police, Delhi Police Housing Corporation Limited and Executive Agencies, i.e. (RITES Ltd., HPL), Delhi Police Housing Corporation Limited has not any ownership rights on land and building. The Delhi Police Housing Corporation has no documents in relation to ownership of Land & Building. Also, as per agreement, the Company does not have any rights or obligations regarding projects started before its incorporation.

2. Payment made to the contractors are booked in construction expenses in the year of payments irrespective of its utilization. Excess payments to contractors are not recorded and reconciled.

Explanation: The company has its accounting policy to book construction expenses on the basis of payment made to Execution Agency. The whole payment is being considered as utilized for construction of projects. Before incorporation of DPHCL, Delhi Police had given major payment directly to Execution Agencies, it was not possible to arrive at what amount was utilized out of DPHCL or Delhi Police Fund.

Hence the above said policy was adopted by DPHCL. Moreover, the payments to Execution Agencies are being made on requisitions given by them and duly approved by Delhi Police.

3. The company makes advance payments to its consultants/contractors & earns interest on unspent funds lying with them in various project escrow bank accounts.

However, the consultants/contractors have not given credit for the tax deducted at source on the interest income. The company has not been able to take care of the same since its inception & has suffered huge losses on this account. The amount of loss incurred by the company in previous years has not been ascertained by the management & in its absence, the same cannot be commented upon.

During the current year, as per contractor's certificate [HPL] the amount of TDS is Rs. 5,94,520/- (As per our estimate this figure is Rs. 9,68,497/- based on the interest (Net of TDS) credited by HPL). However, the company has not accounted for any TDS amount in its revenue resulting in decrease of income to Rs. 9,68,497/-.

स्पष्टीकरण: समझौते के अनुसार, निष्पादन एजेंसी को दिल्ली पुलिस के संरक्षक के रूप में अतिरिक्त धनराशि रखनी होगी। हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के खातों का समाधान और निपटान करना अभी बाकी है। प्राप्त नकदी के आधार पर एचपीएल द्वारा ब्याज का लाभ दिया जा रहा है। लेखापरीक्षक द्वारा योग्य के रूप में रु.9,68,497/- स्रोत पर कटौती की राशि तदर्थ आंकड़ा है। एक बार एचपीएल के साथ लेखों को समाधान हो जाए, स्रोत पर कटौती और अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इसी तथ्य की पुष्टि एचपीएल ने अपने पत्र दिनांक 27.08.2016 में भी की है।

4. परियोजनाओं के पूरा हो जाने और ठेकेदार द्वारा सौंपे जाने के बावजूद भी ठेकेदारों (एचपीएल) को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज की रु. 87,16,474/- की राशि को निर्माण व्यय में नामे किया गया है। इसका असर खर्चों दर्ज करने पर पड़ा है और मुनाफे में कमी आई है।

स्पष्टीकरण: एचपीएल द्वारा जमा किए गए रु. 87,16,474/- के ब्याज को, इस संबंध में उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के अनुसार निर्माण व्यय में नामे किया गया है। एचपीएल के साथ पीएमसी और अन्य प्रभारों का भी समाधान/निपटान किया जाएगा।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में "शून्य" टिप्पणी दी है, इस प्रकार निगम के प्रबंधन से कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

13. **वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार:**

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसरण में प्ररूप संख्या एमजीटी-9 के रूप में **अनुलग्नक 'क'** पर वार्षिक विवरणी का सार है।

14. **ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आभेदन तथा विदेशी मुद्रा आय व व्यय का विवरण:**

क. कंपनी निर्माण व्यवसाय में शामिल नहीं है, अपने प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं है तथा इसीलिए ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी आभेदन के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

ख. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय व व्यय नहीं था।

15. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):**

लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

Explanation: As per Agreement, Execution Agency has to keep excess funds as custodian of Delhi Police. Hindustan Prefab Ltd accounts are yet to be reconciled and settled. HPL is giving credit of interest received by it on cash basis. Amount of TDS Rs. 9,68,497/- as qualified by Auditors is an adhoc figure. Once the accounts are settled with HPL, TDS and other issues shall be taken care of. The same fact is also confirmed by HPL in its letter dated 27.08.2016.

4. A sum of Rs. 87,16,474/- the interest earned on advances to contractors (HPL) has been debited to construction expenses even though projects have been completed and handed over by contractor. This has resulted in over booking of expenses and decrease in profits.

Explanation: Interest of Rs 87,16,474 credited by HPL has been debited to construction expenses as per their certificate issued in this regard. PMC and other charges shall also be reconciled/ settled with HPL.

The controller and Auditor General of India (CAG) in its supplementary audit report has given "NIL" comments, thus it requires no explanation from the management of the corporation.

Further no frauds were reported to the Board during the Financial Year 2015-2016 U/s 143(12) of the Companies Act, 2013.

13. **Extracts of Annual Return:**

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is annexed herewith as **Annexure 'A'** in form MGT-9.

14. **Particulars regarding Conservation of Energy & Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo:**

- a. The Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operation and as such no specific methods have been adopted to conserve energy & technology absorption.
- b. During the period under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

15. **Corporate Social Responsibility (CSR):**

Pursuant to DPE Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises and Section 135 of the Companies Act, 2013, the Board has constituted CSR committee and

समिति गठित की है तथा समिति की संस्तुति के आधार पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएसआर नीति अनुमोदित हुई। निगम की सीएसआर नीति को रिपोर्ट के **अनुलग्नक 'ख'** के रूप में संलग्न किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक व्यय के बराबर अर्थात् तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए औसत निवल लाभ का 2% की राशि का योगदान दिया है।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक 'ग'** पर संबद्ध है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

16. लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रकटीकरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति निम्नांकित तारीख में दो बार बैठक हुई:

- 1) 10 अगस्त, 2015
- 2) 18 सितंबर, 2015

based on the recommendation of the Committee, the CSR policy has been approved by the Board of Directors of the Company. The CSR policy of the Corporation is annexed to report as **Annexure 'B'**.

During the year under review, the Company has contributed an amount towards its CSR activities which is equal to the statutorily required expenditure, i.e. 2% of the average net profit for three preceding financial year.

The annual report on CSR activities pursuant to Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 is attached at **ANNEXURE 'C'** forming part of this report.

16. Disclosure of Composition of Audit Committee:

During the year under review, the Audit Committee met two (2) times on the following dates:

- 1) 10th August, 2015
- 2) 18th September, 2015

क्र.सं. Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	अवधि के दौरान आयोजित बैठक की सं. No. of meeting held during the tenure	बैठक में उपस्थिति की सं. No. of meeting attended
1	श्री किशन कुमार Shri Kishan Kumar	अध्यक्ष Chairman	10.08.2015, 18.09.2015	2
2	श्री संजय प्रहलाद पाठक Shri Sanjay Pralhad Pathak	सदस्य Member	10.08.2015, 18.09.2015	2
3	श्री राकेश मित्तल Shri Rakesh Mittal	सदस्य Member	शून्य/Nil	शून्य/Nil

वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में सीएसआर समिति का गठन नीचे दिया जा रहा है:

1. श्री किशन कुमार, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, अध्यक्ष
2. श्री संजय प्रहलाद पाठक, अपर आयुक्त (योजना) दिल्ली विकास प्राधिकरण, सदस्य
3. श्री यशपाल गर्ग, प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली, सदस्य

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया।

समिति का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध समिति की वित्तीय रिपोर्टिंग की उच्च स्तरीय पारदर्शिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ अचूक एवं समय से प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध समिति की वित्तीय प्रक्रिया को मॉनीटर करना और प्रभावी पर्यवेक्षण करना है।

The Composition of the Audit Committee at the end of the Financial Year 2015-16:

1. Shri Kishan Kumar, Special Commissioner of Police, Delhi Police, Chairman
2. Shri Sanjay Pralhad Pathak, Addl. Commissioner (Planning), DDA, Member
3. Shri Yashpal Garg, representative of GNCTD, New Delhi, Member

All recommendations made by the audit committee were accepted by the Board.

The primary objective of the committee is to monitor and provide an effective supervision of the Management's financial reporting process, to ensure accurate and timely disclosures, with the highest level of transparency, integrity and quality of financial reporting.

17. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

18. ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया।

19. संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं या व्यवस्थाओं के ब्यौरे:

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं का कोई दृष्टांत नहीं है। अतएव अनुलग्नक 'घ' के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्ररूप एओसी-2 में कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

20. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी की कोई जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है क्योंकि कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले तत्व बहुत कम हैं।

21. आचार संहिता:

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए आचार संहिता बनाई है। बोर्ड के सभी सदस्यों ने वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है।

22. निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (ग) में संदर्भित निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण के अनुसार निदेशकों का कहना है कि:

- (क) वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- (ख) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।
- (ग) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

17. Internal Financial Control:

The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the year, such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed.

18. Particulars of Loans, Guarantees or Investments:

There were no loans, guarantees or investments made by the Company under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

19. Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties:

There were no instances of contracts or arrangements entered by the Company with the related parties. Hence, there is no requirement to furnish particulars as required under sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 in form AOC-2 under 'Annexure D'.

20. Risk Management Policy:

The Company does not have any Risk Management Policy as the elements of risk threatening the Company's existence are very minimal.

21. Code of Conduct:

In compliance of DPE Guidelines, the company has framed the code of Conduct for the Board of Directors & Senior Management. All the members of Board affirm the compliance with the code on annual basis.

22. Directors' Responsibility Statement:

The Directors' Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act 2013, the directors would like to state that:-

- (a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

- (ड) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी प्रणाली के उपयुक्त एवं प्रभावी संचालन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है।
- (च) असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रस्तुति संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के उप खंड (ड) कंपनी पर लागू नहीं हैं।

23. सामान्य प्रकटन:

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं हुआ है:

1. लाभांश, मतदान अथवा अन्यथा विशेष अधिकार के साथ ईक्विटी शेयर को जारी करना।
2. किसी ईएसओपी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयरों (श्रम साध्य ईक्विटी शेयर सहित) को जारी करना।
3. कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए कंपनी द्वारा निधियों का प्रावधान।
4. बोनस शेयर।
5. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान तथा उनकी ड्यूटियों के संबंध में कंपनी की नीति।

24. आभारोक्ति:

आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जीएनएसटी और शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पूर्णतः और अत्यधिक सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एसबीआई, कंपनी बैंकर, निगम के सनदी लेखाकार, कंपनी के कानूनी सलाहकार तथा निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों को निगम के कार्यों को प्रबंधित करने में अथाह सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं। अंत में ही सही पर प्रधानतः आपके निदेशक दिल्ली पुलिस के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों में से लिए गए कंपनी के स्व-अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कार्मिकों के अत्यधिक आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके जोश और उत्साह से कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

ह.

(आलोक कुमार वर्मा)

अध्यक्ष

डिन-07478946

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 18.11.2016

पता: एबी-07, पंडारा रोड,
नई दिल्ली - 110003

- (e) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.
- (f) The Company being unlisted, sub clause (e) of section 134(3) of the Companies Act, 2013 pertaining to laying down internal financial controls is not applicable to the Company.

23. General Disclosure:

Your Directors state that no disclosure or reporting is required in respect of the following items as there were no transactions on these items during the year under review:

1. Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
2. Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme ESOP.
3. Provision of money by Company for purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees.
4. Bonus Shares.
5. Company's Policy relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge of their duties.

24. Acknowledgements:

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCTD and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support. Thanks are also due to the SBI, the bankers of the Company, Chartered Accountant of the Corporation, Company Law Advisor and Statutory Auditors of the Corporation for their untiring efforts in organizing the affairs of the Corporation. Last but not the least your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm, the Company would rise to greater heights.

For and on behalf of Board of Directors
Delhi Police Housing Corporation Limited



(ALOK KUMAR VERMA)

Chairman

DIN: 07478946

Place : New Delhi.
Dated: 18.11.2016

R/o: AB-07, Pandara Road,
New Delhi-110003

मूल्यांकन वर्ष 2016-17 के लिए स्रोत पर कटौती का विवरण

TDS DETAIL A.Y. 2016-17

1ली तिमाही 1st QTR 094319600019363

क्र.स. Sr.No.	नाम NAME	पैन PAN	सकल राशि Gross Amount	स्रोत पर कटौती की राशि TDS Amount
1.	आशु गुप्ता / ASHU GUPTA	AGYPG2196D	70,000.00	7,980.00
		कुल/TOTAL	70,000.00	7,980.00

2री तिमाही 2nd QTR 100379600354725

क्र.स. Sr.No.	नाम NAME	पैन PAN	सकल राशि Gross Amount	स्रोत पर कटौती की राशि TDS Amount
1.	राईट्स लि. / RITES LTD	AAACR0830Q	2,728,880.00	2,728,88.00
2.	आशु गुप्ता / ASHU GUPTA	AGYPG2196D	119,700.00	119,70.00
		कुल/TOTAL	2,848,580.00	284,858.00

3री तिमाही 3rd QTR 100379600385212

क्र.स. Sr.No.	नाम NAME	पैन PAN	सकल राशि Gross Amount	स्रोत पर कटौती की राशि TDS Amount
1.	आशु गुप्ता / ASHU GUPTA	AGYPG2196D	120,225.00	12,023.00
2.	एटीजे एंड एसोशिएट्स / ATJ & Associates	AADFT7416N	13,740.00	1,374.00
		कुल/TOTAL	133,965.00	13,397.00

4थी तिमाही 4th QTR 770000000217361

क्र.स. Sr.No.	नाम NAME	पैन PAN	सकल राशि Gross Amount	स्रोत पर कटौती की राशि TDS Amount
1.	राईट्स लि. / RITES LTD	AAACR0830Q	5,692,068.00	569,207.00
2.	आशु गुप्ता / ASHU GUPTA	AGYPG2196D	160,300.00	16,031.00
3.	संजीव मिगलानी एंड एसोशिएट्स / Sanjeev Miglani & Associate	ABFFS3168R	80,150.00	8,015.00
4.	दुआ एंड एसोशिएट्स / Dua & Associates	AAEFD8970G	50,000.00	2,863.00 2,137.00
		कुल/TOTAL	5,982,518.00	598,253.00
		कुल/TOTAL	9,035,063.00	904,488.00

31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं०	31/03/2016 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I. ईक्विटी और देयताएं			
शेयरधारकों की निधियां			
शेयरपूंजी	3	50,000,000	50,000,000
आरक्षित और अधिशेष	4	59,174,279	47,647,838
गैर-चालू देयताएं			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	789,503	789,503
चालू देयताएं			
अन्य चालू देयताएं	6	35,981,517	66,344,768
अल्पावधि प्रावधान	7	3,954,595	401,456
कुल		149,899,994	165,183,565
II. आस्तियां			
चालू आस्तियां			
नकद और नकद तुल्य	8	140,548,197	155,235,216
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	9	845,227	845,227
अन्य चालू आस्तियां	10	8,506,570	9,103,122
कुल		149,899,994	1651,83,565
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का भाग हैं।	2		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

ह.
(आलोक कुमार वर्मा)
अध्यक्ष
डिन 07478946

ह.
(अजय कश्यप)
प्रबंध निदेशक
डिन 07555958

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 9.09.2016

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2016

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
I. EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholder's Funds			
Share Capital	3	50,000,000	50,000,000
Reserves and Surplus	4	59,174,279	47,647,838
Non-Current Liabilities			
Other Long Term Liabilities	5	789,503	789,503
Current Liabilities			
Other Current Liabilities	6	35,981,517	663,44,768
Short Term Provisions	7	3,954,595	4,01,456
Total		149,899,994	1651,83,565
II. ASSETS			
Current Assets			
Cash and Cash Equivalents	8	140,548,197	155,235,216
Short Term Loans and Advances	9	845,227	845,227
Other Current Assets	10	8,506,570	9,103,122
Total		149,899,994	1651,83,565
Significant Accounting Policies	2		
Notes forming Part of financial Statements			

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Alok Kumar Verma)
Chairman
DIN No.07478946

Sd/
(Ajay Kashyap)
Managing Director
DIN No.07555958

Place : New Delhi
Date : 09.09.2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रुपयों में)

विवरण	टिप्पणी सं०	31/03/2016 को समाप्त चालू रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्ट अवधि की समाप्ति पर आंकड़ें
I. प्रचालनों से आय		-	-
II. अन्य आय		301,173,244	147,574,126
III. कुल राजस्व (I+II)	11	301,173,244	147,574,126
IV. व्यय			
परियोजना व्यय की लागत		282,712,525	130,794,953
अन्य व्यय		1,047,044	603,454
कुल व्यय	12 13	283,759,569	131,398,407
V. आपवादिक और असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ	(III - IV)	17,413,675	16,175,719
VI. आपवादिक मदें		--	--
VII. असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ (V - VI)		17,413,675	16,175,719
VIII. असाधारण मदें		--	--
IX. कर पूर्व लाभ (VII - VIII)		17,413,675	16,175,719
X. कर व्यय:			
(1) चालू कर		5,887,234	5,250,318
(2) आस्थिगित कर		--	--
XI. निरंतर प्रचालनों की अवधि से लाभ / (हानि)	(IX - X)	11,526,441	10,925,401
XII. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ / (हानि)		--	--
XIII. अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय		--	--
XIV. अनिरंतर प्रचालनों से लाभ / (हानि) (XII - XIII)		--	--
XV. अवधि के लिए लाभ / (हानि) (XI + XIV)		11,526,441	10,925,401
XVI. प्रत्येक रु.100/- के सममूल्य के ईक्विटी शेयर			
XVII. प्रति ईक्विटी शेयर आय:			
(1) मूल और मिश्रित		23.05	21.85
XVIII. प्रति शेयर की आय की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या			
(1) मूल और मिश्रित		500,000	500,000
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	2		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 9.09.2016

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(आलोक कुमार वर्मा)
अध्यक्ष
डिन 07478946

ह.
(अजय कश्यप)
प्रबंध निदेशक
डिन 07555958

PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE ENDED 31st MARCH 2016

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
I. Revenue from operations		-	-
II. Other Income		301,173,244	147,574,126
III.Total Revenue (I+II)	11	301,173,244	147,574,126
<u>IV. Expenses:</u>			
Cost of Project Expenses	12	282,712,525	130,794,953
Other Expenses	13	1,047,044	603,454
Total Expenses		283,759,569	131,398,407
V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax	(III - IV)	17,413,675	16,175,719
VI. Exceptional Items		--	--
VII. Profit before extraordinary items and tax (V-VI)		17,413,675	16,175,719
VIII. Extraordinary Items		--	--
IX. Profit before tax (VII - VIII)		17,413,675	16,175,719
X. Tax Expenses :			
(1) Current tax		5,887,234	5,250,318
(2)Deferred tax		--	--
XI. Profit (Loss) from the period from continuing operations	(IX - X)	11,526,441	10,925,401
XII. Profit/(Loss) from discontinuing operations		--	--
XIII. Tax expenses of discontinuing operations		--	--
XIV. Profit/(Loss) from Discontinuing operations (XII - XIII)		--	--
XV. Profit/(Loss) for the period (XI + XIV)		11,526,441	10,925,401
XVI. Equity shares of par value a 100/- each			
XVII. Earning per equity share:			
(1) Basic and Diluted		23.05	21.85
XVIII. Number of shares used in computing earnings per share			
(1) Basic and Diluted		500,000	500,000
Significant accounting policies Notes on Financial Statements	2		

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Sd/-
(Alok Kumar Verma)
Chairman
DIN No.07478946

Sd/-
(Ajay Kashyap)
Managing Director
DIN No.07555958

Place : New Delhi
Date : 09.09.2016

2015-16 के लिए नकद प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the Year 2015-16

(राशि रुपयों में/Amount in Rs.)

2015 -16			
क	प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह	A	Cash Flows From Operating Activities
	कराधान पूर्वलाभ		Profit before taxation
	समायोजन के लिए: ब्याज आय ब्याज व्यय		Adjustments for: Interest income Interest expense
			17,413,675
			(34,711,463)
			-
	चालू आस्तियों में वृद्धि		Increase in Current Assets
	चालू देयताओं में वृद्धि		Increase in Current Liabilities
			(17,297,788)
			596,552
			(30,363,251)
	प्रचालन से सृजित नकद		Cash generated from operations
	प्रदत्त आयकर		Income tax paid
			(47,064,487)
			2,333,995
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद उपयोग		Net cash used in operating activities
			.(49,398,482)
ख	निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह	B	Cash Flows From Investing Activities
	प्राप्त ब्याज		Interest received
			34,711,463
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद		Net cash from investing activities
			34,711,463
ग	वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह	C	Cash Flows From Financing Activities
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद		Net cash used from financing activities
			-
	नकद और नकद समकक्ष में निवल (घटत)		Net (decrease) in cash and cash equivalents
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		Cash & cash equivalents at beginning of the period
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		Cash & cash equivalents at end of the period
			(14,687,019)
			155,235,216
			140,548,197

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते दुआ एंड एसोशिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. 000669एन

ह.

(सीए चंचल तलवारिया)

भागीदार

सदस्यता सं. 090701

As per our report of even date attached

For **Dua & Associates**

Chartered Accountants

FRN No.000669N

Sd/-

(CA Chanchal Talwaria)

Partner

M.No.090701

स्थान /Place : नई दिल्ली New Delhi

दिनांक/Date : 09.09.2016

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(आलोक कुमार वर्मा)

अध्यक्ष

डिन सं. 07478946

ह.

(अजय कश्यप)

प्रबंध निदेशक

डिन सं. 07555958

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Alok Kumar Verma)

Chairman

DIN No.07478946

Sd/-

(Ajay Kashyap)

Managing Director

DIN No.07555958

मूल्यांकन वर्ष /ASSTT. YEAR : 2016-17
 पूर्व वर्ष /PREV YEAR : 2015-16
 पैन /PAN : AACCD8943J
 स्थापना की तारीख /D.O.I. : 16/11/2007

कर योग्य आय की गणना
COMPUTATION OF TAXABLE INCOME

व्यापार अथवा व्यवसाय से आय	INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	
लाभ और हानि लेखे से निवल लाभ	Net Profit as per Profit & Loss A/c	17,413,675
जोड़ें : धारा 37 सीएसआर भुगतान पर रोक	Add: CSR Payment Disallowed u/s 37	285,500
जोड़ें : धारा 40ए(ii) के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के ब्याज पर रोक	Add: Interest on TDS/I. Tax disallowed u/s 40a(ii)	106,930
कुल आय	Total Income	<u>17,806,105</u>
कुल आय को पूर्णांक करना	Total Income r/off	17,806,110
कुल आय पर कर	Tax on Total Income	5,341,833
जोड़ें: 7% की दर से अधिभार	Add: Surcharge@7%	<u>373,928.31</u>
		5,715,761
जोड़ें: 3% की दर से शिक्षा उपकर	Add: Education Cess @3%	171,473
कुल कर	Total Tax	5,887,234
घटाएं : अग्रिम कर	Less: Advance Tax	1,034,322
घटाएं : स्रोत कर कटौती	Less: TDS	<u>898,217</u>
जोड़ें : धारा 234बी/सी(पप) के अंतर्गत ब्याज	Add: Intt. U/s 234B/C	3,954,695
		452,994
देय कर	Tax Due	<u>4,407,689</u>

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

For and on behalf of the Board

ह.
(आलोक कुमार वर्मा)
 अध्यक्ष
 डिन 07478946

ह.
(अजय कश्यप)
 प्रबंध निदेशक
 डिन 07555958

Sd/-
(Alok Kumar Verma)
 Chairman
 DIN No.07478946

Sd/-
(Ajay Kashyap)
 Managing Director
 DIN No.07555958

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 कंपनी सूचना

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की स्थापना दिनांक 16.11.2007 को गृह-निर्माण और पुलिस थाना की इमारत तथा निर्माण कार्य/सिविल-निर्माण कार्य, मरम्मत आदि अथवा पुलिस विभाग की किसी भी इमारत संबंधी कोई भी निर्माण कार्य को करने के उद्देश्य से की गई थी।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. वित्तीय विवरणिकाओं की मूल तैयारी

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकन मानक और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति की आवश्यकता का पालन करते हैं।

ख. स्थायी आस्तियां

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं।

ग. मूल्यांकन

कोई स्थायी आस्तियां नहीं खरीदी गईं इसलिए वर्ष के दौरान कोई मूल्यांकन प्रभावित नहीं हुआ।

घ. गैर-चालू देयता

दिल्ली पुलिस द्वारा वित्तपोषित प्रारंभिक व्यय और अन्य व्यय और उन्हें देय गैर-वर्तमान देयताएं माना जाता है।

ङ. राजस्व मान्यता नीति

जब कभी उपार्जित होता है, आय को मान्यता दी जाती है।

च. कर के लिए लेखांकन

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय के संबंध में अदायगी योग्य कर की राशि पर चालू कर निर्धारित होता है।

छ. सरकारी अनुदान का लेखांकन

कंपनी को कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए गृह मंत्रालय से योजना शीर्ष 4055 – पूंजी परिव्यय में से अनुदान मिल रहा है। अनुदान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित लागतें होती हैं। कंपनी ने उसे राजस्व अनुदान माना है तथा और पूर्ण निर्माण कार्य की डिग्री के आधार पर कार्यशील पूंजी के रूप में मानने के बजाय व्यय को लाभ और हानि लेखा का विवरण में निर्माण व्यय और निष्पादन व परामर्श प्रभार के अंतर्गत व्यय को बुक किया है।

Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2016

1 Corporate Information

Delhi Police Housing Corporation Limited was incorporated on 16.11.2007 with the object of construction of houses and police station buildings and to undertake construction/civil work, repair etc. or to do any civil work in connection with any building belonging to police department.

2 Significant Accounting Policies

A Basic Preparation Of Financial Statements

Accounting Convention – The Financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The Financial statements adhere to the relevant presentation requirement of the Companies Act, 2013.

b. Fixed Assets

No Fixed Assets purchased during the year.

c. Depreciation

There is no Fixed Assets purchased hence no depreciation charged during the year.

d. Non-Current Liabilities

Preliminary Expenses and other Expenses financed by Delhi Police and payable to them are considered as non-current Liabilities.

e. Revenue Recognition Policy

Income is recognized as and when accrued.

f. Accounting For Tax

Current Tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

g. Accounting Of Government Grants

The Company has been receiving grants from Ministry of Home Affairs (MHA) for construction and modernization of office and residential building FROM PLAN HEAD 4055 – Capital Outlay. Grants are recognized over the period in which the related costs are incurred. The Company has treated the same as revenue grant and has booked the expenditure under the head Construction Expenses and Execution & Consultancy Charges in Statement of Profit & Loss account instead of treating them as capital work in progress on the basis of degree of completed work..

ज. प्रावधान

माप में अनुमान की पर्याप्त डिग्री वाले प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब घटनाओं के परिणामस्वरूप दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा। आकस्मिक देयताएं मान्यता प्राप्त नहीं हैं, लेकिन लेखों की टिप्पणी में बताया गया है। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता जाती है और न ही खुलासा किया गया है।

झ. प्रति शेयर उपार्जन

प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर प्रकट किया जाता है। प्रति शेयर अवमिश्रित उपार्जन की गणना की जाती है और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा बकाया अवमिश्रित ईक्विटी शेयरों के समकक्ष प्रकट किया जाता है केवल, तब ही जब परिणाम अवमिश्रित विरोधी है।

ज. पूर्ववर्ष के शेष/आंकड़ों को पुनः समूहित तथा पुनः समायोजित किया जाता है।

h. Provisions

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is present obligation as result of events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes to accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

i. Earning Per Share

Basic Earnings per Share is computed and disclosed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Dilutive earnings per share is computed and disclosed using weighted average number of equity and dilutive equity equivalent share outstanding during the period, except when the results would be anti-dilutive.

j. Previous year Balances/Figures are regrouped & rearranged wherever necessary.

वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या : 3 शेयर पूंजी

क) शेयर पूंजी	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े		31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
प्राधिकृत				
प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
जारी				
प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
प्रति रुपए 100/- के इक्विटी शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
अभिदत्त किंतु पूर्णतः प्रदत्त नहीं				
कुल	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

ख 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 को बकाया शेयरों की संख्या तथा शेयर पूंजी की राशि का सामांजस्य नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	31/03/2016 को इक्विटी शेयर		31/03/2015 को इक्विटी शेयर	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	—	—	—	—
वर्ष के दौरान शेयर वापस खरीदे गए	—	—	—	—
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

ग. 5% से अधिक शेयरों को धारित करने वाले शेयर धारकों के नाम नीचे हैं:

नाम	शेयर धारिता की संख्या	शेयर का प्रकार	शेयर धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	499,940	इक्विटी शेयर	99.99%

घ. 31/03/2016 को अदत्त अंश

विवरण	रुपए
निदेशक द्वारा	—
अधिकारियों द्वारा	—

टिप्पणी संख्या : 4. आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्रारंभिक शेष	47,647,838	367,22,437
जोड़े : वर्ष के लिए लाभ	11,526,441	109,25,401
कुल	59,174,279	476,47,838

Notes on Financial Statements

Note : 3. SHARE CAPITAL

a) Share Capital	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016		Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015	
	Number	Rs.	Number	Rs.
Authorised				
Equity shares of Rs.100 each	1,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
Issued				
Equity shares of Rs.100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed and Fully Paid up				
Equity shares of Rs. 100 each	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Subscribed but not Fully Paid up				
Total	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

b) The reconciliation of the number of shares outstanding and the amount of shareCapital as at March 31, 2016 and March 31, 2015 is set out below:

Particulars	Equity Shares as on 31/03/2016		Equity Shares as on 31/03/2015	
	No.	Amount	No.	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000

c) Below are the name(s) of the shareholders holding more than 5% of Shares

Name	No. of Share Holding	Class of Share	Percentage of Holding
President of India	499,940	Equity Share	99.99%

d) Unpaid calls as on 31/03/2016

Particulars	Rs.
By Directors	-
By Officers	-

Note : 4. RESERVE & SURPLUS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
Opening Balance	47,647,838	36,722,437
Add: Profit & Loss A/c	11,526,441	10,925,401
Total	59,174,279	47,647,838

टिप्पणी संख्या : 5. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
दिल्ली पुलिस	7,89,503	7,89,503
कुल	7,89,503	7,89,503

टिप्पणी संख्या : 6. अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
अव्ययित सरकारी अनुदान	35,266,163	659,39,944
भुगतान योग्य व्यावसायिक प्रभार	72,485	63,000
भुगतान योग्य लेखापरीक्षा फीस	52,500	42,472
आशु गुप्ता एंड कंपनी	36,067	1,11,180
भुगतान योग्य स्रोत पर कटौती	342,147	23,517
प्रतिभूति निवेश राइट्स	212,155	1,64,655
कुल	35,981,517	66,344,768

टिप्पणी संख्या : 7. अल्पावधि प्रावधान

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कर हेतु प्रावधान	5,887,234	52,50,318
घटाएं: अग्रिम कर	1,034,322	30,64,250
घटाएं: स्रोत पर कर की कटौती	898,217	17,84,612
कुल	3,954,695	4,01,456

टिप्पणी संख्या : 8. नकद और नकद समकक्ष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
क) बैंक शेष		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 825	34,330,839	31,396
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 1075	615,812	—
ख) अन्य (प्रकार विनिर्दिष्ट करें)		
भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा	105,601,546	155,203,820
कुल	140,548,197	155,235,216

टिप्पणी: नकद और नकद समतुल्य में बैंक के साथ कंपनी द्वारा रखी गई जमा राशि शामिल है, जिसे कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के या बिना मूलधन पर अर्थदंड के वापस लिया जा सकता है।

Note : 5. OTHER LONG TERM LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
Delhi Police	789,503	789,503
Total	789,503	789,503

Note : 6. OTHER CURRENT LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
Unspent Government Grant	35,266,163	659,39,944
Professional Charges Payable	72,485	63,000
Audit Fees Payable	52,500	42,472
Ashu Gupta & Co.	36,067	1,11,180
TDS Payable	342,147	23,517
Security Deposit Rites	212,155	1,64,655
Total	35,981,517	66,344,768

Note : 7. SHORT TERM PROVISIONS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
Provision for Tax	5,887,234	52,50,318
Less: Advance Tax	1,034,322	30,64,250
Less: TDS Adjusted	898,217	17,84,612
Total	3,954,695	401,456

Note : 8. CASH & CASH EQUIVALENTS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
a) Balance with Bank		
State Bank of India –A/c-825	34,330,839	31,396
State Bank of India-A/c-1075	615,812	-
b) Others (Specify nature)		
FDR's with SBI	105,601,546	155,203,820
Total	140,548,197	155,235,216

Note: Cash and Cash Equivalents includes deposits maintained by the Company with Bank, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

टिप्पणी संख्या : 9. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
आयकर वापसी	8,45,227	8,45,227
कुल	8,45,227	8,45,227

टिप्पणी संख्या : 10. अन्य चालू आस्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
प्राप्ति योग्य एफडीआर पर ब्याज	2,506,570	31,03,122
पीडब्ल्यूडी	6,000,000	60,00,000
कुल	8,506,570	91,03,122

टिप्पणी संख्या : 11. अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
सरकारी अनुदान स्वीकारना	266,461,781	1000,00,000
एसबीआई में सावधि जमा पर ब्याज	8,982,093	178,46,659
अग्रिम पर ब्याज	25,729,370	297,27,467
कुल	301,173,244	147,574,126

टिप्पणी संख्या : 12. परियोजना लागत का व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
निर्माण व्यय (पुलिस स्टेशन)	273,188,404	121,769,874
निष्पादन और परामर्श प्रभार	9,524,121	9,025,079
कुल	282,712,525	130,794,953

टिप्पणी संख्या : 13. अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31/03/2016 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े	31/03/2015 को समाप्त पूर्व रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आंकड़े
कानूनी और व्यावसायी फीस	99,129	83,483
प्रतिधारण प्रभार	480,025	4,60,676
आरओसी फीस	16,700	5,000
आयकर पर ब्याज	106,930	6,486
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	57,500	47,191
सी एस आर भुक्तान	285,500	—
बैंक प्रभार	1,260	618
कुल	1,047,044	603,454

Note : 9. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
Income Tax Refund	845,227	845,227
Total	845,227	845,227

Note : 10. OTHER CURRENT ASSETS

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
Interest on FDR Receivable	2,506,570	31,03,122
PWD	6,000,000	60,00,000
Total	8,506,570	91,03,122

Note : 11. OTHER INCOMES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
Government Grant recognize	266,461,781	1000,00,000
Interest on term deposit with SBI	8,982,093	178,46,659
Interest on Advance	25,729,370	297,27,467
Total	301,173,244	147,574,126

Note : 12. COST OF PROJECT EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
Construction Expenses (Police Station)	273,188,404	121,769,874
Execution & Consultancy Charges	9,524,121	9,025,079
Total	282,712,525	130,794,953

Note : 13. OTHER EXPENSES

(Amount in Rs.)

Particulars	Figures as at the end of current reporting period ending on 31/03/2016	Figures as at the end of previous reporting period ending on 31/03/2015
Legal & Professional Fees	99,129	83,483
Retainership Charges	480,025	4,60,676
ROC Fees	16,700	5,000
Interest on Income Tax	106,930	6,486
Auditors Remuneration	57,500	47,19
CSR Payment	285,500	-
Bank Charges	1,260	618
Total	1,047,044	603,454

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

14. कंपनी को 31.3.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण और आवास उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय से रु. 23,57,88,000/- का अनुदान प्राप्त हुआ है। वर्ष के अंत में उपयोग के लिए रु.3,52,66,163/- की राशि लंबित थी। इसे तुलन-पत्र में चालू देयताओं के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसे लाभ और हानि का विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता मिली है एक अवधि के बाद संबंधित लागत, जिसकी लेखांकन मानक-12 के अनुसार क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, का मिलान करना आवश्यक है।
15. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने वर्ष के दौरान अनुपयोगी अनुदानों और प्राप्त अनुदानों में से राईट्स लिमिटेड को रु. 26,64,61,781/- का भुगतान किया। इस अनुदान से किए गए भुगतान को निर्माण लागत से संबंधित व्यय के रूप में माना गया है।
16. हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) और राईट्स लिमिटेड ने पुलिस स्टेशन के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए उन्हें प्रदान की गई राशि में से उनके पास पड़ी निधि के लिए वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान कंपनी को क्रमशः रु.87,16,474/- और 1,70,12,895.81 के लिए ब्याज प्रदान किया है।। कंपनी ने इन ब्याजों को अन्य आय शीर्ष के अंतर्गत रखा है और इन पार्टियों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर परियोजना के निष्पादन और परामर्श शुल्क को समायोजित करने के बाद निर्माण लागत के अंतर्गत इस तरह की राशि को भी नामे किया है।
17. दिनांक 31.03.2015 को अनुपयोगी अनुदान का रु. 6,59,39,944/- का बकाया था और इस अनुपयोगी अनुदान में से रु.3,06,73,781/- का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान राईट्स लिमिटेड को भुगतान करके किया गया है। तुलन-पत्र में अनुपयोगी अनुदानों को अन्य चालू देयताएं में दिखाया गया है क्योंकि इसे लाभ और हानि का विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता मिली है एक अवधि के बाद संबंधित लागत, जिसकी लेखांकन मानक-12 के अनुसार क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं, का मिलान करना आवश्यक है।
18. आकस्मिक देयता:
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में बापू धाम परियोजना के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को रु.60 लाख की अग्रिम राशि दी है। परियोजना को रोक कर रखा गया है और ठेकेदार ने दिल्ली पुलिस से रु.3,77,30,192/- की राशि और ब्याज का दावा किया है और इसे अपनी आकस्मिक देयताएं के रूप में दिखाया गया है। मामला मध्यस्थता के तहत है।
19. लेखा मानक-15 कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का अपना कोई कर्मचारी नहीं है।

Other Notes on Financial Statements for the year ended 31st March, 2016

14. The Company has received grant in aid amounting to Rs.23,57,88,000/- from Ministry of Home Affairs for modernization and housing purpose during the year ended 31.3.2016. A sum of Rs.3,52,66,163/- was pending for utilization at the year end. The same is shown in current liabilities in the Balance Sheet as it is recognized on a systematic basis in the Statement of Profit & Loss over the periods necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per Accounting Standard-12.
15. During the financial year, the Company made a payment of Rs.26,64,61,781/- to Rites Limited from the unutilized grant & grants received during the year. The payment made out of this grant is treated as expenditure relating to Construction Cost.
16. The Hindustan Prefab Limited (HPL) and Rites Limited has provided the interest for Rs.87,16,474/- and 1,70,12,895.81 respectively during the Financial Year 2015-2016 to the Company on the fund lying with them out of the amount provided for construction and modernization of Police Station. The company has accounted these interests under the head other income and also debited such sum under the head Cost of Construction after adjusting the Execution & Consultancy charges of project on the basis of certificates provided by these parties.
17. There was outstanding balance of 6,59,39,944/- of unutilized grant as on 31/03/2015 and out of this unutilized grant Rs.3,06,73,781/- has been utilized during the financial year 2015-2016 by making payment to Rites Limited. The unutilized grant is shown in other current liabilities in the Balance Sheet as it is recognized on a systematic basis in the Statement of Profit & Loss over the period necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate as per Accounting Standard - 12.
18. Contingent Liabilities:
The Company has given an advance of Rs. 60 lakhs to CPWD for Bapu Dham Project in F.Y.: 2010-11. The project has been kept in abeyance and contractor has claimed a sum of Rs.3,77,30,192/- plus interest from Delhi Police and the same has been shown as its Contingent liabilities. The case is under arbitration.
19. AS-15 is not applicable to the company since the company does not have any employee its own.

20. प्रबंधन कार्मिकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

20. The details of Management Personnel are as follows:

क्रसं० S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री गिरधारी लाल मीणा Shri Girdhari Lal Meena	नामित निदेशक Nominee Director	29/10/2013	23/06/2015
2.	श्री एस. पी. पाठक Sh. S.P. Pathak	नामित निदेशक Nominee Director	28/03/2014	जारी Continuing
3.	श्री किशन कुमार Sh. Kishan Kumar	प्रबंध निदेशक Managing Director	28/03/2014	05/05/2016
4.	श्री राकेश मित्तल Sh. Rakesh Mittal	निदेशक Director	24/03/2015	जारी Continuing
5.	श्री आलोक कुमार वर्मा Sh. Alok Kumar Verma	अध्यक्ष Chairman	29/02/2015	जारी Continuing
6.	श्री सुधीर यादव Shri Sudhir Yadav	प्रबंध निदेशक Managing Director	15/10/2015	05/05/2016
7.	श्री यश पाल गर्ग Shri Yash Pal Garg	निदेशक Director	18/09/2015	जारी Continuing
8.	श्री अजय कश्यप Shri Ajay Kashyap	प्रबंध निदेशक Managing Director	29/06/2016	जारी Continuing

21. कंपनी चालू कर आस्तियों और देयताओं को समाप्त करती है, जहां इसे कानून योग्य अधिकार हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक – 22 “आय पर करों के लिए लेखांकन” के अनुसार निवल आधार पर ऐसी आस्तियों और देयताओं के समाधान करना होता है तथा तदनुसार, कर के लिए प्रावधान अग्रिम कर और प्राप्तव्य स्रोत पर कटौती को वित्तीय विवरणिकाओं में दिखाया गया है।

21. The Company offsets, the current tax assets and liabilities, where it has legally enforceable right and where it intends to settle such assets and liability on a net basis in accordance with Accounting Standard – 22 “Accounting for Taxes on Income” issued by ICAI and accordingly Provision for Tax, Advance Tax & TDS receivable shown as follows in financial statements.

राशि (रुपयों में)

(Amount in Rs.)

कर के लिए प्रावधान	58,87,234
अग्रिम कर	10,34,322
स्रोत पर कर की कटौती प्राप्तव्य	8,98,217
आयकर (स्रोत पर कर की निवल कटौती और अग्रिम कर)	39,54,695

Provision for Tax	58,87,234
Advance Tax	10,34,322
TDS receivable	8,98,217
Income Tax (Net of TDS & Advance Tax)	39,54,695

22. प्रति शेयर मूल उपार्जन/अवमिश्रित की गणना लेखे के अनुसार वर्ष के लिए कराधान के बाद निवल लाभ को विभाजित किया गया है, जो वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या में से ईक्विटी शेयर धारकों के लिए उत्तरदायी है।

22. Basic/Diluted Earning Per Shares has been calculated by dividing net profit after taxation for the year as per accounts, which is attributable to equity share holders by numbers of equity shares outstanding at the end of the year.

प्रति शेयर अर्जन	Calculation of EPS	As on 31.03.2016 को	As on 31.03.2015 को
(क) वर्ष के लिए निवल लाभ	a) Net Profit for the year	1,15,26,441	1,09,25,401
(ख) ईक्विटी शेयरों की संख्या	b) No. of equity Shares	5,00,000	5,00,000
(ग) प्रति शेयर मूलभूत/तरलीकृत अर्जन	c) Basic/Diluted EPS (a/b)	23.05	21.85
(घ) प्रति शेयर अंकित मूल्य	d) Nominal Value per share	100	100

23. कंपनी की लघु उद्योग/उपक्रमों के प्रति कोई देयताएं नहीं है।
24. कंपनी ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए रु 2,85,500/- भुगतान किया है।
25. कुछ पक्षकारों के शेष और अग्रिम पुष्टि के अधीन हैं।

23. The Company has no outstanding liability towards small – scale Industries/ undertakings.
24. The Company has made payment of Rs.2,85,500/- towards Corporate Social Responsibility (CSR).
25. Balances of Parties & Advances are subject to confirmation and reconciliation.

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते **दुआ एंड एसोशिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000669एन
ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(आलोक कुमार वर्मा)
अध्यक्ष
डिन सं. 07478946

ह.
(अजय कश्यप)
प्रबंध निदेशक
डिन सं. 07555958

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 9.09.2016

As per our report of even date attached
For **Dua & Associates**
Chartered Accountants
FRN No.000669N

For and on behalf of the Board

Sd/-
(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701
स्थान /Place : नई दिल्ली New Delhi
दिनांक/Date : 09.09.2016

Sd/-
(Alok Kumar Verma)
Chairman
DIN No.07478946

Sd/-
(Ajay Kashyap)
Managing Director
DIN No.07555958

Place : New Delhi
Date : 09.09.2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

Independent Auditor's Report

सदस्यगण,

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड,

दिल्ली

एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संबद्ध दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 के तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सही व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाघड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

यहां हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखापरीक्षा मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके नियमों के तहत लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है।

To the Members

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** (THE COMPANY) which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for matters stated in Section 134(5) of the Companies Act 2013 (the Act) with respect to the preparation and presentation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of Act read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion of these standalone financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.



हमने अपनी लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्विक गलतबयानी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा को प्राप्त करने के लिए कार्यविधियाँ शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथन, के जोखिम, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ है, का मूल्यांकन शामिल है। उन जोखिमों का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक मानते हैं जो लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं को अभिकल्पित करने के लिए सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेकिन एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

योग्य राय का आधार

- 1 कंपनी ने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के निगमीकरण से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कुछ परियोजनाओं को अपने अधिकार में ले लिया है, हालाँकि इसके निगमीकरण से पहले इन परियोजनाओं के अधिकारों और दायित्वों को कंपनी की लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है। सूचना के अभाव में, हमारे द्वारा इसकी मात्रा का निर्धारण और टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
- 2 ठेकेदारों को किए गए भुगतान को इसके उपयोग के बावजूद भुगतान के वर्ष में निर्माण व्यय में बुक किया जाता है। ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान को दर्ज और सामंजस्य नहीं किया जाता है। (टिप्पणी संख्या 15 देखें)
- 3 कंपनी अपने सलाहकारों/ ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान करती है और विभिन्न परियोजना एस्करो बैंक खातों में उनके पास पड़ी हुई निधियों पर ब्याज अर्जित करती है। हालांकि, सलाहकार/ ठेकेदारों ने ब्याज आय पर स्रोत पर कर की कटौती ऋण नहीं दिया है। कंपनी शुरू ही इसका ध्यान नहीं रख पाई है और इस खाते पर

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Basis of Qualified Opinion

- 1 The Company has taken over certain projects carried on by Delhi Police before incorporation of DPHCL, however the rights & obligations of these projects before its incorporation has not been recorded in the books of accounts of the company. In absence of the information, the same cannot be quantified & commented upon by us.
- 2 Payments made to the contractors are booked in construction expenses in the year of payments irrespective of its utilization. Excess payments to contractors are not recorded and reconciled. (Refer Note No. 15)
- 3 The company makes advance payments to its consultants/contractors & earns interest on unspent funds lying with them in various projects escrow bank accounts. However, the consultants/contractors have not given credit for the tax deducted at source on the interest



नुकसान हुआ है। पिछले वर्षों में कंपनी को हुए नुकसान की राशि का प्रबंधन द्वारा पता नहीं लगाया जा सका और उसके अभाव में उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

वर्तमान वर्ष के दौरान, ठेकेदार (एचपीएल) के प्रमाण-पत्र के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती की राशि रु.5,94,520/- (हमारे अनुमान के अनुसार यह आंकड़ा एचपीएल द्वारा जमा किए गए ब्याज (टीडीएस का निवल) पर आधारित रु. 9,68,497/- है)। हालांकि, कंपनी ने अपने राजस्व में स्रोत पर कर की कटौती की किसी भी राशि की जिम्मेदार नहीं ली है, जिसके परिणामस्वरूप आय में रु.9,68,497/- तक कमी आई है।

- 4 परियोजनाओं के पूरा हो जाने और ठेकेदार द्वारा सौंपे जाने के बावजूद भी ठेकेदारों (एचपीएल) को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज की रु. 87,16,474/- की राशि को निर्माण व्यय में नामे किया गया है। इसका असर खर्चों को दर्ज करने पर पड़ा है और मुनाफे में कमी आई है।

योग्य राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य राय पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीक से अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना को दर्शाते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पुष्टि में सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं:

- (क) 31 मार्च, 2016 को कंपनी के कार्यकलापों को तुलन-पत्र के मामले में; और
- (ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लाभ और हानि लेखे के मामले में;
- (ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के नकद प्रवाह के मामले में;

विषय का महत्व

अपनी राय को योग्य किए बिना, हम इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. कंपनी को कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरणों के लिए गृह मंत्रालय से योजना शीर्ष 4055-पूँजी परिव्यय में से अनुदान मिल रहा है। अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए है। कंपनी ने उसे राजस्व अनुदान के समान ही माना है और कोई पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाई है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भी इस प्रतिपादन पर सवाल उठाया है। {संदर्भ टिप्पणी सं.2 (छ) देखें}।

income. The amount of loss incurred by the company in previous years has not been ascertained by the management & in its absence, the same cannot be commented upon.

During the current year, as per contractor's certificate (HPL) the amount of TDS is Rs.5,94,520 (As per out estimates this figure is Rs.9,68,497 based on the interest (Net of TDS) credited by HPL. However, the company has not accounted for any TDS amount in its revenue resulting in decrease of income to Rs.9,68,497.

- 4 A sum of Rs.87,16,474, the interest earned on advances to contractor (HPL) has been debited to construction expenses even though projects have been completed and handed over by the contractor. This has resulted in over booking of expenses and decrease of profits.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us except for the effects of the matter described in the basis for Qualified opinion paragraph, the financial statements give the information so required by the Act in the mannerso required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (a) In the case of the balance sheet of the state of affairs of the Company as at March 31, 2016 and
- (b) In the case of the profit and loss account of the profit for the year ended on that date.
- (c) In the case of the Cash Flows, of the cash flows for the year ended on that date.

EMPHASIS OF MATTERS

Without qualifying our opinion, we draw attention to:

1. The company has been receiving grants from Ministry of Home Affairs (MHA) for construction of office and residential building from plan head 4055 – Capital Outlay. The grant is for creation of assets. The company has treated the same as revenue grant and has not created any capital assets. CAG has also questioned this treatment. {Refer Note no.2(g)}.



2. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में बापू धाम परियोजना के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को रु.60 लाख की अग्रिम राशि दी है। परियोजना को रोक कर रखा गया है और ठेकेदार ने दिल्ली पुलिस से रु.3,77,30,192/- की राशि और ब्याज का दावा किया है और इसे अपनी आकस्मिक देयताएं के रूप में दिखाया गया है। (संदर्भ टिप्पणी सं.18)
3. एचपीएल के पास रखी हुई रु. 9,48,81,343/- की धनराशि को परियोजनाओं के पूर्ण होने और को सौंपने के बावजूद वसूला नहीं गया (ठेकेदार से प्राप्त बयान के आधार पर)।
4. पार्टियों और अग्रिमों का शेष पुष्टि के अधीन है (संदर्भ टिप्पणी सं.25 देखें)। कंपनी द्वारा ठेकेदार के बही खातों को बनाए नहीं रखने के कारण शेष राशि को पहले कभी नहीं समाधान नहीं किया गया था।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट

- 1 अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") में अपेक्षित अनुसार हम जहां तक लागू होता है, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण को "अनुलग्नक क" पर प्रस्तुत हैं।
- 2 अधिनियम की धारा 143 (3) में यथा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;
 - ख हमारी राय में, कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियां रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है;
 - ग इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं;
 - घ हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;
 - ड 31 मार्च, 2016 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों और निदेशकों द्वारा रिकार्ड करने के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2016 को निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए को भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

2. The Company has given an advance of Rs. 60 lakhs to CPWD for Bapu Dham Project in F.Y.:2010-11. The project has been kept in abeyance and contractor has claimed a sum of Rs.3,77,30,192/- plus interest from Delhi Police and the same has been shown as its Congtingent liabilities. (Refer note No.18)
3. Funds lying with HPL amounting to Rs.9,48,81,343/- not recovered despite completion and hand over of the projects (On the basis of statement received from the contractor)
4. Balance of Parties and advances are subject to confirmation (Refer Note No.25). The balances were never reconciled in the past since company has not maintained the ledger accounts of the contractor.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 1 As required by the Companies (auditor's Report) Order 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, we give in the "Annexure A" statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
- 2 As required by section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - c the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
 - e on the basis of written representations received from the directors as on 31 March, 2016, taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March, 2016, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.



- च खातों के रखरखाव और इसके साथ जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यता उपर्युक्त 'योग्य राय का आधार' के पैरा के अनुसार है।
- छ कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट का **अनुलग्नक 'ख'** देखें।
- ज कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- i. कंपनी का कोई लंबित मुकद्दमा नहीं है सिवाय प्रकटीकरण की टिप्पणी सं. 18 के और इसके प्रभाव का इसकी वित्तीय स्थिति पर पता नहीं लगाया जा सकता है।
- ii. कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि का प्रश्न नहीं उठता;
- iii. ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहां कंपनी द्वारा राशि को निदेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।
- 3 अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षित अनुसार कंपनी की बहियों और रिकॉर्ड की जांच के बाद हमें उपयुक्त प्रतीत हुआ तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों में शामिल विषयों पर रिपोर्ट को **अनुलग्नक 'ग'** पर इसके साथ अनुबंधित किया गया है।

- f the qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above.
- g with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure B"**.
- h with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us:
- i. The Company has no pending litigation except for the disclosure made vide note No.18 and its impact on its financial position cannot be ascertained.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts; as such the question of commenting on any material foreseeable losses thereon does not arise.
- iii. There were no amounts required to be transferred to investor education and protection fund by the company.
- 3 As required by section 143 (5) of the Act, on the basis of examination of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, the report on the matters covered by the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India is annexed herewith as per **"Annexure C"**.

कृते **दुआ एंड एसोशिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701



For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

Chanchal Talwar

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.09.2016

Place : New Delhi
Date :09.09.2016

कार्यालय:3404, मदन मार्केट, हकीम बाका स्ट्रीट, हौजकाजी, दिल्ली-110006
Email: ndua.associates@yahoo.com
Contact no. 011-43658770,23252307,23266606,9810026954,9810680210

Office: 3404, MADAN MARKET, HAKIM BAQA STREET, HAUZ QAZI, DELHI - 110006
Email: ndua.associates@yahoo.com
Contact no. 011-43658770,23252307,23266606,9810026954,9810680210



दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के सदस्यगणों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा 5 में संदर्भित अनुलग्नक 'क'

- (i) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है इसलिए यह बिंदु लागू नहीं है।
- (ii) जैसा कि कोई माल-सूची नहीं है, कंपनी पर खंड (ii) लागू नहीं है।
- (iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों किसी को प्रतिभूत/अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iii) लागू नहीं है।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।
- (vi) जैसा कि हमें सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण को विनिर्धारित नहीं किया है।
- (vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी खाता बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, मूल्य योजित-कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों सहित जो कंपनी पर लागू सामान्यतः अविवादित सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अदायगी योग्य तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए उक्त सांविधिक देय बकाया नहीं है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण आयकर, बिक्री-कर, सेवा-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, मूल्य योजित-कर के देयों का कोई बकाया नहीं है।

Annexure "A" referred to in paragraph 5 of the Independent Auditor's Report to the members of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED on the financial statements for the year ended 31st March 2016.

- (i) The company has no fixed assets, hence this point not applicable.
- (ii) As there is no inventory clause (ii) is not applicable to the company.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the company has not granted any loans, secured or unsecured to the companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act. Accordingly paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of loans, investments, guarantees, and security.
- (v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits during the year.
- (vi) As informed to us the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records u/s 148(1) of the Act.
- (vii) (a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues which are applicable to the Company including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales Tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above statutory dues in arrears as at the end of the financial year as at 31st March 2016 for a period of more than six months from the date they become payable.
- (b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.



- (viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है। वर्ष के दौरान, कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्थान अथवा डिबेंचर धारकों के प्रति कोई बकाया नहीं है।
- (ix) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने प्रबंध समिति द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव अथवा ऋण सहित प्रारंभिक प्रस्ताव के रूप में धनराशि नहीं बढ़ाई है।
- (x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर अथवा कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी न ही नोटिस अथवा रिपोर्ट की गई न ही प्रबंध समिति द्वारा ऐसे मामलों को सूचित किया गया है।
- (xi) कंपनी ने अपनी प्रबंध समिति को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है इसलिए यह मद लागू नहीं है।
- (xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतएव आदेश का खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xiii) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन नहीं हुआ, अतः यह मद लागू नहीं है।
- (xiv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, शेयरों का कोई अधिमानि आवंटन अथवा निजी नियोजन अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।
- (xv) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंध समिति द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा कंपनी से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई नकदीतर लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।
- (xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है तथा तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई।

कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000669एन
ह.

(सीए चंचल तलवारिया)

भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.09.2016

कार्यालय: 3404, मदन मार्केट, हकीम बाका स्ट्रीट, हौजकाजी, दिल्ली-110006
Email: ndua.associates@yahoo.com
Contact no. 011-43658770, 23252307, 23266606, 9810026954, 9810680210

- (viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loan from banks and financial institutions. The Company did not have any outstanding dues to any financial institution or debenture holders during the year.
- (ix) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer including debt.
- (x) According to the information and explanations given to us, no fraud on or by the company buy its officers or employees has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.
- (xi) The company had not paid any remuneration to its management hence this point is not applicable.
- (xii) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 3 (xii) of the Order are not applicable to the Company.
- (xiii) There are no related party transactions during the year, hence this point is not applicable.
- (xiv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3(xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (xv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3(xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.
- (xvi) In our opinion, the company is not required to be registered under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act. 1934 and accordingly, the provisions of clause 3(xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.



Place : New Delhi
Date : 09.09.2016

For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

Chanchal Talwar

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701

Office: 3404, MADAN MARKET, HAKIM BAQA STREET, HAUZ QAZI, DELHI - 110006
Email: ndua.associates@yahoo.com
Contact no. 011-43658770, 23252307, 23266606, 9810026954, 9810680210



दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड ('कंपनी') के 31 मार्च, 2016 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के एकल विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी ("दिशानिर्देश टिप्पणी") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी की प्रबंध समिति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा तक लागू लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी ("दिशानिर्देश टिप्पणी") के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** ('the Company') as on 31st March 2016 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of internal Financial Controls Over Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the 'Guidance note'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note, to the extent applicable to an Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and



आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जांच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल करें।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन का आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियां और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का, बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंध उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका वित्तीय विवरणों महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditure of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.



वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नांकित विषयों को छोड़कर जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सक्षम नहीं है, कंपनी के पास भी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2016 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे:

1. उनके द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में अपने ठेकेदारों के खातों का समाधान और उनके माध्यम से कार्य निष्पादित करवाया गया।
2. शेष पर अर्जित ब्याज / ठेकेदारों के पास पड़ी धनराशि।
3. परियोजनाओं के पूर्ण होने और सौंपे जाने के बावजूद ठेकेदारों को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की गैर-वसूली।
4. परियोजना वार खाते नहीं रखे गए।

कृते दुआ एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-000669एन

ह.
(सीए चंचल तलवारिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 090701

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.09.2016

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance note issued by the Institute of Chartered Accountants of India except the following four areas where the internal control system is not at all adequate:

1. Reconciliation of accounts of its contractors with regard to payments made to them and work got executed through them.
2. Interest earned on balance/idle funds lying with the contractors.
3. Non recovery of excess amount paid to contractor despite the projects had been completed and handed over.
4. Project wise accounts not maintained.



Place : New Delhi
Date : 09.09.2016

For **DUA & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN 000669N

Chanchal Talwar

(CA Chanchal Talwaria)
Partner
M.No.090701



नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5)

के अंतर्गत निर्देश

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
वित्तीय वर्ष : 2015-16

Directions under Section 143(5) of the new
Companies Act, 2013

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
F.Y. 2015-16

क्र.सं.	विवरण	Sr.No.	Particulars
1.	क्या कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधारित भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट स्वामित्व पट्टा विलेख हैं? यदि नहीं, तो कृपया उस फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं, जिसके लिए स्वामित्व पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	1.	Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not, please state the freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?
उत्तर	लेखा बहियों और हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कंपनी की अपने नाम पर कोई पूर्ण स्वामित्व और पट्टाधारित संपत्ति नहीं है। कृपया गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के उपयोग के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के विषय का महत्व की टिप्पणी सं.2 (ज) और मद सं. 1 का संदर्भ लें।	Reply	As per books of accounts & explanations and information provided to us, the company has no leasehold/freehold property in its name. Kindly refer Note No.2(g)& point No.1 of Emphasis of Matters of our audit report regarding treatment of grants received from MHA.
2.	क्या उधार/ ऋणों/ ब्याज आदि की छूट/ बट्टे खाते के कोई मामले हैं? यदि हां, तो इसके कारण और इसमें शामिल धनराशि बताएं।	2.	Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc., if yes, the reasons therefor and amount involved.
उत्तर	लेखा बहियों के अनुसार – उधार/ ऋणों/ ब्याज आदि की छूट/ बट्टे खाते के कोई मामले नहीं हैं। लेखा बहियों में नहीं लिए गए ठेकेदारों द्वारा अप्रयुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कटौती को जमा नहीं करने संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के योग्य राय का आधार के मद सं. 3 आधार का संदर्भ दें।	Reply	As per books of accounts – there is no case of waiver/write off of debts/ loans/interest. Kindly refer Point No.3 Basis of Qualified opinion of our audit report regarding non credit of TDS on interest earned on unspent funds by contractors not accounted for in books of account.
3.	क्या तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी माल-सूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/ अनुदानों के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकार्ड रखे गए हैं।	3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/ grant(s) from the Government or other authorities.
उत्तर	लागू नहीं।	Reply	Not applicable.



कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – IV नई दिल्ली

गोपनीय

पत्र सं.483-पीडीसीए/एचएस/एमएबी-IV/ए/सीएस/डीपीएचसीएल/16-17

दिनांक : 03.11.2016

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के-ब्लॉक, विकास भवन
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियां

महोदय,

मैं दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न कर रहा हूं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

ह.

(डॉ. आशुतोष शर्मा)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

संलग्नक: उपरोक्त

आठवां व नवां तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110002

दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फ़ैक्स : 23239416

ई-मेल : mabNewdelhi4@cag.gov.in

(50)



कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial
Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi.

Confidential

No. 483-PDCA/HS/MAB-IV/A/es/DPHCL/16-17

Dated:- 3.11.2016

To

Managing Director
Delhi Police Housing Corporation Limited
K Block, Vikas Bhavan,
IP Estate, New Delhi-2.

Sub: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Delhi Police Housing Corporation Limited for the year ended 31st March 2016.

Sir,

I am to enclose herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Delhi Police Housing Corporation Limited for the year ended 31st March 2016.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Dr. Ashutosh Sharma)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट की निर्धारित संरचना के अनुसार **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणिकों की तैयारी का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन समिति का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानको पर आधारित कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिका पर राय व्यक्त करने तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित मानक आश्वासनों को देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी **9 सितंबर, 2016** की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड**, के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षण की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण, स्वतंत्र ढंग से, वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बगैर किया गया है तथा यह लेखा परीक्षा प्राथमिक रूप से, वैधानिक लेखा परीक्षकों, और कंपनी के व्यक्तियों से पूछताछ तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की जांच के आधार पर किया गया है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिसमें वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

**कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से**

ह.

**(डॉ० आशुतोष शर्मा)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड .-IV**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.11.2016

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION
LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016**

The preparation of financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/ auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 9th September 2016.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **Delhi Police Housing Corporation Limited** for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 3.11.2016


(Dr. Ashutosh Sharma)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-IV

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com